न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
औमप्रकाश रैगर
दिनांक :: 14-9-21

मि.न.—28/2021

सरकार बनाम आर आर काकर
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर—सायल उपस्थित आये ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मोरदा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1052 रकबा 1.56 है0 किस्म जमीन बंजड में से 0.32 हे0 पर उत्तर दक्षिण दिशा में पुख्ता डण्डा लगाकर कब्जा व मिट्टी का अवैध खनन कर आर आर ककड़ पुत्र धर्मचंद ककड़ निवासी अपर ग्राउण्ड़ जे ब्लॉक—38 पर्यासन कॉम्पलैक्स नेब सरल नई दिल्ली—68 ने अतिकमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एलआरएक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये। सूचनापरान्त गैर—सायल उपस्थित आए। बार—बार अवसर दिया जाने पर भी गैर सॉयल ने कोई जवाब पेश नही किया। गैर सॉयल का अतिक्रमण किया जाना सिद्व होता है। अतः गैर—सायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गैर—सायल आर आर ककड़ पुत्र धर्मचन्द ककड़ निवासी अपर ग्राउण्ड़ जे ब्लॉक—38 पर्यासन कॉम्पलैक्स नेब सरल नई दिल्ली—68 वाके ग्राम मोरदा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1052 रकबा 1.56 है0 किस्म जमीन बंजड में से 0.32 हे0 पर अतिकमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाई पुख्ता निर्माण को हटाया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.64 रू का पचास गुणा 32 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है तथा अवैध खनन करने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता खनिज विभाग कोटपूतली को नियमावली 89/7 के तहत कार्यवाही हेतु लिखा जावें।

निर्णयानुसार बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी पटवार हल्का मलपुरा को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)